दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 348/2023 और सि.वि.आ. 1358/2023

अयान जोरवाल (अवयस्क) पिता दिनेश कुमार मीणा ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री बलराम, अधिवक्ता के साथ याचिकाकर्ता स्वयं (दूर. 9315595676)

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संतोष कुमारत्रिपाठी, एससी(सिविल) रा.रा.क्षे. दि.रा.सर. के साथ श्री उत्कर्ष सिंह, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. के अधिवक्ता (दूर.- 129829862, ई-मेल:scgnctd@gmail.com)
श्री कमल गुप्ता, श्री स्पर्श अग्रवाल, सुश्री परिधि बिष्ट और सुश्री अनन्या लांबा, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण-स्कूल (दूर.9810988094, ई-मेल:

kamalguptaandcompany@
gmail.com)

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्कर्णा

निर्णय

17.04.2023

मिनी पुष्कर्णा, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि याचिकाकर्ता के सहोदर की फीस रसीद को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना सहोदर के उसी स्कूल में पढने के बनाए मानदंड के तहत अंको का लाभ देकर प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल में कक्षा-1 में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता बच्चे के दाखिले के मामले पर विचार करने के लिए निर्देश दिया जाए |

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिले के लिए एक अधिसूचना जारी की थी| याचिकाकर्ता के पिता ने यहां 'ओपन सीट' वर्ग में शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए कक्षा 1 में याचिकाकर्ता के दाखिले के लिए आवेदन किया था| याचिकाकर्ता के पिता ने स्कूल द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुल 70 अंक का दावा करते हुए ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया अर्थात्, पड़ोस में होने के

लिए 40 अंक और सहोदर का पहले से स्कूल में पढने के लिए 30 अंक चूँकि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई भी प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल में पढ़ता है|

3. दिनांक 20.12.2022 को, याचिकाकर्ता के पिता को स्कूल से एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया है कि 'सहोदर मानदंड' के समर्थन में नवीनतम ट्यूशन फीस रसीद संलग्न नहीं की गई थी| प्रत्यर्थी सं.3 स्कूल द्वारा जारी की गई 20.12.2022 की ईमेल निम्नानुसार है:-

> *"माननीय अभिवावक,*
>
> *हमें खेद है कि आपका आवेदन पत्र* ***(पी1/2023/284)*** *निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दिया गया है:-*
> *"अवैध दस्तावेज, कृपया नवीनतम ट्यूशन फीस रसीद संलग्न करें|"*

4. उपर्युक्त ईमेल के प्राप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता के पिता ने स्कूल को दिनांक 21.12.2022 को एक ईमेल लिखा कि उनका बड़ा बेटा स्कूल का छात्र था, जिसे वंचित समूह (डीजी) कोटा के तहत भर्ती किया गया था| इसलिए, उसके पास 'सहोदर मानदंड' के तहत अंकों के दावे के समर्थन में कोई ट्यूशन फीस रसीद नहीं थी| ईमेल के साथ याचिकाकर्ता के पिता ने एक दस्तावेज दिनांकित 10.11.2022 भी संलग्न किया जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत

हस्ताक्षर थे जो यह प्रमाणित करता था कि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई प्रश्नगत स्कूल का एक सद्भावी छात्र था|

5. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् शिक्षा के उप निदेशक (शिक्षा निदेशालय) को दिनांक 22.12.2022 को ईमेल लिखा| प्रत्यर्थी सं. 2 ने स्कूल को दिनांक 23.12.2022 को एक ईमेल लिखा जिसमें उसे याचिकाकर्ता के बड़े भाई द्वारा किए गए शुल्क के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया गया था|

6. इसके बाद, याचिकाकर्ता के पिता ने प्रत्यर्थी सं.3, स्कूल से अपने बेटे के दाखिले पर विचार करने हेतु अनुरोध किया| स्कूल से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ| इसके बाद, दिनांक 06.01.2023 को, प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल ने 'ओपन सीट' वर्ग के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक की सूची/विवरण और अंक अपलोड किए| प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल द्वारा अपलोड की गई सूची में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था| याचिकाकर्ता के पिता ने कक्षा I में दाखिले हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन प्रपत्र पर विचार करने का अनुरोध करते हुए स्कूल को फिर से लिखा| चूंकि प्रत्यर्थी स्कूल ने याचिकाकर्ता के पिता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार नहीं किया, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है|

7. यह नोट किया जा सकता है कि वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल ने दिनांक 11.01.2023 को याचिकाकर्ता के पिता को पत्र जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता के दाखिले का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया था| हालाँकि, कथित पत्र में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को 40 अंक मिले थे, जिसका अर्थ है कि 'सहोदर मानदंड' की ओर 30 अंक याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं दिए गए थे| प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल द्वारा जारी पत्र दिनांकित 11.01.2023 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"माननीय अभिभावक*
>
> *आपने द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए* ***कक्षा-1*** *में अपने बच्चे के प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है|*
>
> *सामान्य वर्ग की 13 ओपन सीटों में से 288 ने कक्षा-1 में प्रवेश के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया है।*
>
> *इन 13 सीटों में से 11 उम्मीदवारों को 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और दाखिले के मानदंडों के अनुसार, उनका दाखिले के लिए चयन किया गया है (दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन), 38 उम्मीदवारों को 40 अंक मिले हैं और शेष 02 सीटें इन उम्मीदवारों में से ड्रा निकल कर भरी जाएंगी|*
>
> *आपके बच्चे को 40 अंक मिले हैं और उसे 13 जनवरी, 2023 को स्कूल के हॉल ऑफ ग्रेस में 10:40 बजे होने वाली ड्रॉ में शामिल किया जाएगा|*

स्कूल परिसर में केवल एक अभिभावक को ही ड्रॉ में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और पंजीकरण फॉर्म और फोटो आईडी कार्ड की पावती पर्ची का प्रिंट ले कर आना अनिवार्य है, जो प्रवेश पास के रूप में कार्य करेगा।

यह वांछनीय है कि माता-पिता ड्रॉ में शामिल हों, हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, भले ही आप ड्रॉ में शामिल ना हो पाएं।

दाखिले के लिए पहली सूची दिनांक 20 जनवरी, 2023 को हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।"

8. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 'भाई-बहन' वर्ग में अंक प्राप्त होने चाहिए चूँकि प्रत्यर्थी स्कूल द्वारा निर्धारित उक्त मानदंडों के तहत एकमात्र आवश्यकता यह है कि आवेदक का भाई या बहन स्कूल में अध्ययन कर रहा हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ओपन/सामान्य वर्ग या आरक्षित वर्ग अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस); वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) वर्ग के तहत अध्ययन करने वाले भाई-बहनों के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल में पढ़ रहा है। केवल इस तथ्य के संबंध में आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल में पहले से पढ़ रहे सहोदर के लिए 30 अंकों का लाभ उठाने के उद्देश्य से फीस रसीद जमा नहीं की गई है।

10. शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रस्तुतियों का समर्थन किया है| यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि स्कूल के पास दाखिले की प्रक्रिया और मानदंड तैयार करने की स्वायत्तता है, लेकिन यह उचित होना चाहिए ना कि मनमाना| यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का भाई प्रश्नगत स्कूल में पढ़ रहा है| इस प्रकार, स्कूल में पढ़ने वाले सहोदर के प्रमाण के लिए किसी विशेष दस्तावेज पर जोर देने का कोई सवाल ही नहीं है| स्कूल को सहोदर के मानदंड के प्रति किसी विशेष दस्तावेज पर जोर नहीं देना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि स्कूल को सहोदर के मानदंड के संबंध में कुछ अन्य दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है, तो यह स्कूल की स्वायत्तता को बाधित नहीं करेगा|

11. शिक्षा निदेशालय की ओर से यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि राज्य एक कल्याणकारी निकाय होने के नाते ऐसे लोगों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आते हैं, भले ही उनमें से एक ईडब्ल्यूएस/डीजी की आरक्षित वर्ग में ही पढ़ रहा हो| किसी भी छात्र को 'ओपन सीट' में दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता है या स्कूल द्वारा निर्धारित मानदंडों का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि उसका सहोदर डीजी वर्ग के तहत अध्ययन कर रहा है|

12. शिक्षा निदेशालय की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक दस्तावेज के बदले दूसरे दस्तावेज की मांग करने का कोई सुगम मानदंड नहीं है| स्कूल को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि दाखिला सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता है| यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल को सहोदर मानदंड के तहत अंकों का लाभ देकर याचिकाकर्ता को दाखिला देना चाहिए|

13. दूसरी ओर, वर्तमान रिट याचिका का प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल की ओर से पूर्ण रूप से विरोध किया गया है| यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्कूल में पढ़ने वाले सहोदर की नवीनतम ट्यूशन फीस रसीद की फोटोकॉपी उस संबंध में अंक दिए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक है| यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित आवश्यकता, प्रवेश मानदंड निर्धारित करने वाले दस्तावेज का हिस्सा होने के नाते अलग-थलग न करके समग्र रूप से पढा जाना चाहिए| यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी दस्तावेज के सभी भागों और खंडों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ताकि उनमें से कोई भी निरर्थक, निष्प्रभाव या तुच्छ न हो|

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दस्तावेज के लेखक द्वारा व्यक्त किया गया आशय अर्थात् स्कूल प्रबंधन समिति, जिसने वर्तमान मामले में दाखिले के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, को यह समझने में उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि मानदंड का क्या अर्थ है और यह किस बारे में हैं| यह प्रस्तुत किया जाता है कि दाखिले का मानदंड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सहोदर वर्ग के लिए अंकों का

उल्लेख केवल सामान्य वर्ग के प्रवेश के मानदंडों में किया गया है| यह केवल उन आवेदकों के लिए है और उन ही तक सीमित है, जिनके सहोदर स्कूल में सामान्य वर्ग में पढ़ रहे हैं| स्कूल द्वारा अधिसूचित दाखिले के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है| दाखिले की प्रक्रिया में भाग लेने वाला और असफल होने वाला व्यक्ति प्रवेश अधिसूचना/मानदंड/प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता है|

15. स्कूल की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि निजी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है| पूर्ण विधान अर्थात दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1972 (डीएसईए) और इसके तहत बनाए गए नियम स्पष्ट रूप से डीएसईए की खंड 16(3) और नियम 145 के संदर्भ में दिल्ली में एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के प्रमुख को प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करते हैं|

16. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली में सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा अधिसूचित मानदंड में एकरूपता या समानता लाने के लिए अधिसूचनाएं/परिपत्र/कार्यालय आदेश जारी करके उपराज्यपाल और शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए प्रयासों को इस न्यायालय द्वारा बार-बार विफल कर दिया गया है|

17. स्कूल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने अपने मौलिक अधिकार के प्रयोग में अपने मानदंडों को परिभाषित किया है और उक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे काल्पनिक, अर्थहीन या बेतुका कहा जा सकता है| ऐसे तर्कसंगत और तार्किक मानदंडों में निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून के संदर्भ में कोई भी हस्तक्षेप न तो अनुज्ञेय है और न ही अनुबद्ध है| आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे कई अन्य स्कूल हैं जो वर्तमान मामले में स्कूल द्वारा किए गए समान 'सहोदर मानदंड' का वर्गीकरण करते हैं|

18. स्कूल की ओर से प्रबल प्रतिवाद किया गया है कि वर्तमान मामला, जिसमें कोई अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस/डीजी वर्ग के तहत किए गए दाखिले का लाभ प्राप्त करने के लिए ओपन जनरल वर्ग के तहत प्रवेश चाहता है को अनुमति नहीं दी जा सकती है| कानून दो वर्ग अर्थात सामान्य और ईडब्ल्यूएस/डीजी बनाता है| एक तरफ, ईडब्ल्यूएस/डीजी वर्ग में दाखिले के ऑनलाइन होने में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल की कोई भूमिका नहीं है| दूसरी ओर, सामान्य वर्ग में दाखिला स्कूल के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं| कानून द्वारा सृजित दो वर्गों को स्कूल द्वारा संरक्षित और अलग रखा जाता है|

19. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि स्कूल द्वारा किया गया वर्गीकरण/विभेद स्पष्ट रूप से बोधगम्य है और इस तरह के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका स्पष्ट संबंध है| इसका उद्देश्य यह है कि दोनों वर्ग अर्थात

सामान्य और आरक्षित को अलग-अलग रखा जाए| सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग तक सीमित रखा गया है और आरक्षित वर्ग के तहत दाखिले से लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये सीटें खुली नहीं हैं| इस उद्देश्य के साथ उचित सांठगांठ यह है कि सामान्य वर्ग की सीटें विशुद्ध रूप से सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तक सीमित हैं, जो केवल सामान्य वर्ग से अस्तित्व में हैं, ताकि कानून द्वारा बनाए गए दो वर्गों अर्थात सामान्य और ईडब्ल्यूएस/डीजी में सीटों के वर्गीकरण और संख्या को संरक्षित किया जा सके| दोनों वर्गों को अलग रखना किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण, मनमाना या अनुचित नहीं हो सकता है|

20. रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. द्वारा दिनांक 24.11.2007 को जारी परिपत्र के संदर्भ में, स्कूल की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त परिपत्र मानदंड को सख्ती से या व्यापक रूप से निर्धारित नहीं करता है, जो स्कूलों को अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करने के लिए स्वंतंत्रता देता है| यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्कूल अपने पूर्व छात्रों के लिए मानदंडों, भाई-बहनों के मानदंडों, पड़ोस के मानदंडों को परिभाषित करते हैं और उनके दाखिले के प्रक्रिया में उपरोक्त मानदंडों में से कोई एक या अधिक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं|

21. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ईडब्ल्यूएस/डीजी वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है| वह अपने सभी अधिकारों और हकदारी का आनंद ले रहा है, जैसा कि शिक्षा का

अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत उसे प्रत्याभूत है| आरटीई सहोदर के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता है और इसलिए, याचिकाकर्ता इस तरह के अधिकार का हकदार नहीं है| वास्तव में, आरटीई अधिनियम की धारा 13, 'सहोदर मानदंड' जैसे किसी भी मानदंड को बाधित, निषेध और रोकता है| इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा भेदभाव कर अधिकार से वंचित करने का आरोप नहीं हो सकता, जो आरटीई के तहत निर्धारित/परिकल्पित नहीं है| आरटीई के तहत बच्चे का अध्ययन करना, सहोदर के अंकों सहित अंकों के किसी भी मानदंड का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि आरटीई अधिनियम में इस तरह के किसी भी मानदंड बिंदु की परिकल्पना नहीं की गई है|

22. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य वर्ग का दाखिला स्कूलों के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा बना हुआ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत छात्रों के चयन के तरीके में स्कूलों को अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त है| भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत आरटीई अधिनियम के तहत विधायिका द्वारा निर्धारित मूल अधिकार से अधिक होने के लिए किसी भी निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के मौलिक अधिकार में दखलंदाजी नहीं की जा सकती है|

23. स्कूल की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि दाखिले के दो स्त्रोत अर्थात् सामान्य वर्ग दाखिला और आरक्षित वर्ग दाखिला, पूर्ण रूप से अलग और

पृथक होने के पर भी याचिकाकर्ता के द्वारा प्रवेश के दोनों स्रोतों का लाभ एक साथ मांगकर याचिकाकर्ता द्वारा इन्हें मिलाने की कोशिश की गई|

24. यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता न्यायालय में आया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून की व्याख्या उसके पक्ष में और अन्य बच्चों के विरुद्ध की जानी चाहिए जो दाखिले के लिए अधिक योग्य हैं| यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य आवेदक हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जो याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई उसी सीट के विरुद्ध प्रवेश पाने का इंतजार कर रहे हैं|

25. प्रत्यर्थी सं. 3 स्कूल के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 23.12.2023 को जारी किया गया ईमेल पूरी तरह से अवैध है| शिक्षा निदेशालय अपने मानदंडों को परिभाषित करने के स्कूल के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जो पूरी तरह से तर्कसंगत और विवेकशील है| यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशालय की ओर से दी गई प्रस्तुतियां पूरी तरह से अनाधिकृत हैं, जो शिक्षा निदेशालय की ओर से दायर शपथ पत्र के विपरीत हैं|

26. स्कूल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

(क) एग्माटेल भारत प्राइ. लिमि. बनाम रेसोर्सिस टेलीकॉम, (2022) 5 एससीसी 362

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम करुणेश कुमार, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1706

(ग) टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481

(घ) सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन के लिए फोरम बनाम दिल्ली उपराज्यपाल और अन्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन देल 6650

(ङ) कार्य समिति बनाम शिक्षा निदेशालय, 2016 एससीसी ऑनलाइन देल 672

(च) भारत संघ व अन्य बनाम जी. गणयुथम, (1997) 7 एससीसी 463

(छ) अजय कुमार शुक्ला व अन्य बनाम अरविंद राय व अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1195

(ज) श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम सीसीई, (2016) 3 एससीसी 643

(झ) जे. चंद्रशेखरन व अन्य बनाम वी. डी. केशवन, 2012 5 एल.डब्ल्यू. 523

(ञ) बिहार राज्य व अन्य बनाम मधु कांत रंजन व अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1262

27. मैंने पक्षकारगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

28. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (शिक्षा विभाग) ने अपने आदेश सं. एफ/डीई/15/1031/एसीटी/2007/7002 दिनांकित 24.11.2017 के द्वारा दिल्ली में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में एक आदेश जारी किया। उक्त आदेश का अनुच्छेद-14 निम्न प्रकार हैः

".....

14. विद्यालय प्रवेश हेतु मानदंड विकसित करेगा और अपनाएगा जो स्पष्ट, सुपरिभाषित, न्यायसंगत, भेदभाव रहित और स्पष्ट होगा। विद्यालय उन मानदंडों को अपनाएगा जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में हैं और उसके दर्शन के अनुरूप हैं, और इनमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

*(क) **पड़ोस** - यह बच्चों के हित में है कि उन्हें अपने निवास के निकटतम विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। इसलिए, विद्यालय आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देंगे। यदि विद्यालय संतुष्ट है कि एक बच्चे के लिए एक अच्छा और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध है, तो वह ऐसे बच्चे को प्रवेश देने पर विचार कर सकता है, भले ही वह किसी दूरस्थ स्थान पर रहता हो। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में विद्यालयों का वितरण एक समान नहीं है।*

*(ख) **बच्चे की पृष्ठभूमि** - सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों पर प्रवेश हेतु समान रूप से विचार किया जाएगा। विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले या कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रवेश देने के लिए सचेत प्रयास करेगा।*

*(ग) **सहोदर** - आम तौर पर माता-पिता या अभिभावक यह पसंद करते हैं कि उनके बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ें। इसलिए विद्यालय उस बच्चे को वरीयता दे सकता है जिसका कोई भाई या बहन उस विद्यालय में पढ़ रहा हो।*

*(घ) **स्थानांतरण का मामला** - कई माता-पिता या अभिभावक सरकारी और अन्य निजी क्षेत्रों में स्थानांतरणीय सेवा में कार्यरत हैं।*

विद्यालय ऐसे माता-पिता या अभिभावकों के बच्चे को वरीयता दे सकता है।

*(ङ) **एकल अभिभावक** अर्थात् तलाकशुदा / विधवा / विधुर / अविवाहित - विद्यालय ऐसे एकल अभिभावक के बच्चे को प्रवेश देने में वरीयता दे सकता है।*

*(च) **प्रबंधन कोटा** - विद्यालय के पास एक प्रबंधन कोटा हो सकता है जो कक्षा में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीटों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।*

विद्यालय अतिरिक्त मानदंड भी तय कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक मानदंड / मापदंड हेतु एक अंक प्रणाली निर्धारित करना आवश्यक है

... ...

(जोर दिया गया)"

29. उपर्युक्त का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालयों को प्रवेश के लिए मानदंड विकसित करने और अपनाने का अधिकार दिया गया है। इस आदेश में कुछ मापदंडों का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें विद्यालयों को संबंधित

विद्यालयों में प्रवेश हेतु अतिरिक्त मापदंड तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि प्रवेश के लिए मानदंड न्यायसंगत, भेदभाव रहित और स्पष्ट होने चाहिए।

30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक विद्यालय को सामान्य कोटे के तहत प्रवेश के मामलों में स्वायत्तता है और वह उक्त विद्यालय में प्रवेश के लिए अपने स्वयं के मानदंड तैयार कर सकता है। हालांकि, विद्यालय द्वारा तैयार किया गया कोई भी प्रवेश मानदंड युक्तियुक्त, तर्कसंगत और भेदभाव रहित होना चाहिए। इस तरह के मानदंड अस्थिर या मनमाने नहीं हो सकते, बल्कि निष्पक्ष और न्यायसंगत होने चाहिए।

31. इस प्रकार, अपने स्वयं के प्रवेश मानदंड तैयार करने में अपनी स्वायत्तता के आधार पर, प्रश्नगत विद्यालय ने प्रवेश के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें पड़ोस, बालिकाओं, भाई-बहनों और पूर्व छात्रों के मानदंडों पर विभिन्न अंक दिया जाने निर्धारित किए गए हैं। सहोदर शीर्ष के तहत, जो प्रवेश के मानदंडों में से एक है, विद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना इस प्रकार हैः

> *".....*
>
> ***3. सहोदर (30 अंक)***
>
> *अंक आवेदक को तभी दिए जाएंगे जब उसके अपने भाई / बहन द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हों।*

<u>आवश्यक दस्तावेज</u> *: द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले सहोदर की नवीनतम ट्यूशन फीस की रसीद की प्रति।*

....."

32. उपर्युक्त मानदंडों के अवलोकन से पता चलता है कि विद्यालय द्वारा आवेदक को 30 अंक दिए जाएंगे यदि उसके अपने भाई / बहन विद्यालय में पढ़ रहे हैं। 'सहोदर मानदंड' के तहत, विद्यालय द्वारा अपेक्षित दस्तावेज उसी विद्यालय में पढ़ने वाले सहोदर की नवीनतम ट्यूशन फीस रसीद की प्रति है। चूंकि याचिकाकर्ता का भाई डीजी श्रेणी के तहत विद्यालय में पढ़ रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता 'सहोदर मानदंड' के तहत 30 अंकों के अपने दावे के समर्थन में अपने भाई की नवीनतम ट्यूशन फीस रसीद जमा करने में असमर्थ है| इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं. 3 विद्यालय ने अपने 11.01.2023 दिनांकित पत्र के आधार पर, जैसा कि इसमें इसके ऊपर उद्घृत किया गया है, याचिकाकर्ता को 'सहोदर मानदंड' के तहत 30 अंकों का लाभ नहीं दिया है| याचिकाकर्ता को 'पड़ोस' शीर्ष के तहत केवल 40 अंक दिए गए हैं|

33. विद्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांकित 11.01.2023 में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जिन आवेदकों को प्रवेश मानदंडों के अनुसार 50 या उससे अधिक अंक मिले थे, उन्हें पहले ही प्रवेश के लिए चुना जा चुका है। 38 उम्मीदवारों को 40 अंक प्राप्त हुए हैं और शेष 2 सीटें इन उम्मीदवारों में से ड्रा द्वारा भरी जाएंगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता को 'सहोदर मानदंड' के तहत 30 अंक

दिए गए होते, तो याचिकाकर्ता ने 70 अंक प्राप्त किए होते और उन अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रवेश के लिए चुना जाता, जिन्हें प्रवेश मानदंड के अनुसार 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर चुना गया है|

34. प्रत्यर्थी विद्यालय की ओर से यह तर्क कि 'भाई-बहन' शीर्ष के तहत 30 अंकों का लाभ उन उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं होगा जिनके सहोदर डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत अध्ययन कर रहे हैं और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके सहोदर सामान्य वर्ग के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है| विद्यालय की ओर से किया गया ऐसा वर्गीकरण न केवल अनुचित है, बल्कि मनमाना और भेदभावपूर्ण भी है। अपने मानदंड स्वयं तय करने हेतु विद्यालय को दी गई स्वायत्तता का त्रुटिपूर्ण अर्थ यह नहीं माना जा सकता है कि इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग छात्रों के आवेदकों जिनके सहोदर डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें विद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत अपेक्षित अंक नहीं प्रदान कर प्रवेश से वंचित कर दिया जाए।

35. विद्यालय की स्वायत्तता प्रवेश के लिए विभिन्न मानदंड तय करने की है। इसे आगे बढ़ाते हुए विद्यालय ने कई मानदंड निर्धारित किए हैं और प्रत्येक मानदंड के लिए अलग-अलग अंक प्रदान किए हैं। हालांकि, जब इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई पहले से ही विद्यालय में पढ़ रहा है, तो विद्यालय द्वारा केवल एक विशेष दस्तावेज जैसे विद्यालय में

अध्ययन कर रहे सहोदर की नवीनतम ट्यूशन फीस की रसीद की प्रति पर जोर नहीं दिया जा सकता है। यदि विद्यालय को 'सहोदर मानदंड' के तहत कोई अन्य दस्तावेज प्रतिग्रहण करने का निर्देश दिया जाता है, तो इससे विद्यालय की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, सहोदर का रिपोर्ट कार्ड या पहचान पत्र जैसे अन्य दस्तावेज हैं जो 'सहोदर मानदंड' के तहत मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज हो सकते हैं। केवल एक विशेष दस्तावेज पर जोर देने को विद्यालय की स्वायत्तता के दायरे में नहीं माना जा सकता है, जब इस तरह का हठ वास्तव में उन उम्मीदवारों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में बदल जाता है, जिनके सहोदर किसी आरक्षित वर्ग के तहत अध्ययन कर रहे हैं।

36. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई डीजी वर्ग के तहत अध्ययन कर रहा है, याचिकाकर्ता के सहोदर के मानदंडों के तहत अंकों से वंचित करने का कोई आधार नहीं होगा| यदि सामान्य वर्ग के तहत दाखिले के लिए सहोदर के अंक ऐसे आवेदक के लिए उपलब्ध हैं, जिसके सहोदर सामान्य वर्ग के तहत अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे अंक उस आवेदक के लिए भी उपलब्ध होंगे, जिसके सहोदर डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय की ओर से किए जाने वाले वर्गीकरण को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह का वर्गीकरण / श्रेणीकरण पूरी तरह से अनुचित, मनमाना, आधारहीन और असमर्थनीय है। इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले सहोदर के प्रमाण के लिए एक

से अधिक दस्तावेज मांगने के लिए कोई सुबोध मानदंड नहीं है, जब कथित तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है।

37. डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत अध्ययन करने वाले किसी सहोदर के संबंध में, सामान्य वर्ग में प्रवेश चाहने वाले आवेदक को सहोदर अंक देना, ओपन सामान्य सीट को डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीट में परिवर्तित नहीं करेगा। ओपन सामान्य वर्ग के तहत 75 प्रतिशत छात्रों को दाखिला देने के लिए विद्यालय की स्वायत्तता का उल्लंघन या अतिलंघन नहीं होगा, बशर्ते कि डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत उसी विद्यालय में पढ़ने वाले अपने सहोदर को ओपन सामान्य वर्ग के तहत दाखिला लेने के लिए 'सहोदर मानदंड' के तहत अंक दिए जाएं।

38. इसके अतिरिक्त, यदि किसी आवेदक का सहोदर डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत अध्ययन कर रहा है, तो ओपन सामान्य वर्ग के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले ऐसे आवेदक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डीजी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले भाई-बहनों के लिए अंकों से वंचित करना पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और अनुचित होगा।

39. निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार चयन की एक उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रक्रिया के अधीन है। यह मानदंड पारदर्शी, पहचान योग्य और तर्कसंगत होने चाहिए।

40. याचिकाकर्ता को विद्यालय के मानदंडों के अनुसार 30 अंक न देने में भेदभाव करना, जबकि ऐसे अंक अन्य आवेदकों को प्रदान करते समय, जिनके भाई / बहन सामान्य वर्ग के तहत अध्ययन कर रहे हैं, याचिकाकर्ता के समानता के मौलिक अधिकार और उनके साथ समान व्यवहार किया जाने का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए विद्यालय की कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता।

41. **चंदन बनर्जी व अन्य बनाम कृष्ण प्रसाद घोष व अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 773**, वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण से कृत्रिम असमानताएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> *"27. उपर्युक्त पूर्व निर्णय से उभरकर सामने आए सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः*
> *(क) व्यक्तियों के मध्य वर्गीकरण से कृत्रिम असमानताएं पैदा नहीं होनी चाहिए। वर्गीकरण को तर्कसंगत आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 14 व 16 के उद्देश्यों और प्रयोजनों के साथ सामंजस्य होना चाहिए;*
> *....."*

42. इसी प्रकार, ***आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन फेडरेशन बनाम बी. नरसिम्हा रेड्डी व अन्य (2011) 9 एस. सी. सी. 286*** वाले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः-

*"**29**. यह एक स्थापित विधिक प्रतिपादना है कि संविधान का अनुच्छेद 14 मनमानेपन पर प्रहार करता है क्योंकि एक कार्य जो मनमाना है, उसमें आवश्यक रूप से समानता को नकार देता है। मनमानी का यह सिद्धांत केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधायिका पर भी लागू होता है। इस प्रकार, पक्षकार को यह संतुष्ट करना होता है कि कार्रवाई तार्किक थी, अयुक्तियुक्त तरीके से या स्वेच्छापूर्वक या पर्याप्त तार्किक अवधारण सिद्धांत के बिना आनंद के अधीन नहीं की गई थी, तार्किक तथा तर्क या निर्णय के अनुसार की गई थी और निश्चित रूप से केवल इच्छा पर निर्भर नहीं करती है।"*

43. प्राथमिक और मौलिक शिक्षा प्रदान करना राज्यों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाली संस्थाओं पर एक संवैधानिक दायित्व माना गया है। इस प्रकार, ***मेजर सौरभ चरण व अन्य बनाम उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व अन्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन एससी 436*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

***"16.** निर्विवाद रूप से, प्राथमिक और मौलिक शिक्षा प्रदान करना राज्यों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाली संस्थाओं का एक संवैधानिक दायित्व है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बच्चे न केवल भविष्य के नागरिक हैं, बल्कि पृथ्वी का भविष्य भी हैं। सामान्य रूप से बुजुर्गों और विशेष रूप से माता-पिता और शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की भलाई और देखभाल करें। ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ टोपेका*

[98 एल ईडी 873 : 347 यूएस 483 (1954)], अर्ल वारेन, सी. जे. ने यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित शब्दों में शिक्षा के अधिकार पर जोर दियाः (एल एड पृ. 880)

"आज शिक्षा संभवतः राज्य तथा स्थानीय सरकारों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ... यह हमारी सबसे बुनियादी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक है, यहां तक कि सशस्त्र बलों में सेवा के लिए भी। यह अच्छी नागरिकता का आधार है। आज यह बच्चे को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागृत करने, उसे बाद के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करने और उसे सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में मदद करने में एक प्रमुख साधन है। इन दिनों, इसमें संदेह है कि यदि किसी बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित रखा जाए तो उससे जीवन में सफलता की उम्मीद की जाए।""

44. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 13.01.2023 के द्वारा एक अंतरिम निर्देश पारित किया था कि प्रत्यर्थी सं. 3 विद्यालय वर्तमान रिट याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरक्षित रखेगा।

45. इसमें ऊपर दी गई विस्तृत चर्चा पर विचार करते हुए, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि अपने प्रवेश मानदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता को सहोदर के 30 अंक न देने की प्रत्यर्थी सं. 3 विद्यालय की कार्रवाई इस आधार पर मनमानी और भेदभावपूर्ण है कि याचिकाकर्ता का भाई डीजी वर्ग के तहत अध्ययन कर रहा है| जब यह तथ्य निर्विवाद रहता है कि याचिकाकर्ता का सहोदर प्रत्यर्थी सं. 3 विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय में अध्ययन कर रहे सहोदर की

नवीनतम विद्यालय फीस रसीद की प्रति ही प्रस्तुत करने पर जोर देना, पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है|

46. इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी विद्यालय को अपने प्रवेश मानदंड के संदर्भ में याचिकाकर्ता को सहोदर के अंक देने और विद्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता को प्रवेश देने का निर्देश दिया जाता है।

47. वर्तमान रिट याचिका को पूर्वोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है और लंबित आवेदन के साथ इसका निपटान किया जाता है।

मिनी पुष्कर्णा, न्या.

17 अप्रैल, 2023/एयू

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*